भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4664
दिनांक 20 मार्च, 2026 को उत्तर के लिए

कुपोषण की वर्तमान स्थिति

4664. श्री हनुमान बेनिवाल:
एडवोकेट चन्द्र शेखर:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) नवीनतम सर्वेक्षणों के अनुसार देश में बच्चों में कुपोषण की वर्तमान दर का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या पोषण अभियान तथा अन्य संबंधित योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत बजट की तुलना में वास्तविक व्यय कम रहा है और यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान स्वीकृत बजट तथा वास्तविक व्यय का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का देश में विशेषकर जनजातीय क्षेत्रों में कुपोषण से निपटने के लिए उक्त योजनाओं के कार्यान्वयन तथा उन पर किए गए व्यय की निगरानी हेतु कोई ठोस तंत्र विकसित करने का विचार है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा तथा उसकी समय-सीमा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (घ) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 (मिशन पोषण 2.0) के तहत निर्धारित संकेतकों पर आंगनवाड़ी केंद्रों, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और लाभार्थियों से संबंधित सभी कार्यकलापों की निगरानी और ट्रैकिंग के

लिए आईसीटी आधारित उपकरण 'पोषण ट्रैकर' डिजिटल एप्लिकेशन लॉन्च किया है। पोषण ट्रैकर के तहत प्रौद्योगिकी का लाभ 0-6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों में ठिगनापन, दुबलापन, अल्प वजन के व्यापकता की गतिशील पहचान के लिए उठाया जा रहा है। देश में बच्चों में कुपोषण के बारे में राज्यवार सूचना पोषण ट्रैकर के सार्वजनिक डैशबोर्ड पर इस लिंक https://www.poshantracker.in/statistics पर उपलब्ध है।

इसके अतिरिक्त, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 1992-93 से आयोजित राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) के विभिन्न चरणों में देश भर के बच्चों में कुपोषण के संकेतकों से संबंधित आंकड़े भी एकत्र किए जाते हैं। एनएफएचएस-5 के अनुसार इन संकेतकों का राज्यवार ब्यौरा **अनुलग्नक I** में दिया गया है।

मिशन पोषण 2.0 एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसमें समग्र योजना और नीति निर्माण की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, जबकि इसका दैनिक कार्यान्वयन राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के दायरे में आता है। पिछले तीन वर्षों के लिए इस योजना के तहत वित्तीय आवंटन और व्यय का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	**वर्ष**	**बजट अनुमान (करोड़ रुपये)**	**संशोधित अनुमान (करोड़ रुपये)**	**व्यय/जारी की गई निधि (करोड़ रुपये)**
1	2022-23	20,263.07	20,263.07	19,876.11
2	2023-24	20,554.31	21,523.13	21,809.64
3	2024-25	21,200.00	21,035.12	21,014.01

मंत्रालय ने निधि के उपयोग की प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करने के लिए, उपयोगिता प्रमाण पत्र और व्यय विवरण जमा करने के लिए एक विशेष पोर्टल बनाया है। इसके अलावा, पारदर्शिता और जवाबदेही को बेहतर बनाने के लिए, मिशन पोषण 2.0 को एसएनए स्पर्श से जोड़ा गया है, जो 'जस्ट इन टाइम' पद्धति पर काम करता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान मिशन पोषण 2.0 के तहत राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए जारी की गई निधि का ब्यौरा **अनुलग्नक II** में दिया गया है।

सेवा प्रदायगी की अंतिम लाभार्थी तक ट्रैकिंग के लिए, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने पोषण ट्रैकर एप्लिकेशन में फेशियल रिकग्निशन सिस्टम तैयार किया है। इसका उद्देश्य टेक-होम राशन की प्रदायगी करना और यह सुनिश्चित करना है कि इसका लाभ केवल

उन्हीं लाभार्थियों को मिले जो एप्लिकेशन में पंजीकृत हैं। इसके अलावा, लाभार्थियों जैसे- गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और किशोरियों को टेक-होम राशन की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए एप्लिकेशन में नॉमिनी मॉड्यूल भी शुरू किया गया है। यदि किसी कारणवश, कोई पंजीकृत लाभार्थी फेशियल रिकग्निशन सिस्टम के माध्यम से अपना टेक-होम राशन प्राप्त करने के लिए आंगनवाड़ी केंद्र नहीं जा पाती है, तो वह अपनी ओर से किसी अन्य व्यक्ति को अपना टेक-होम राशन प्राप्त करने के लिए नामित कर सकती है। इसके अतिरिक्त, आधार-आधारित ट्रैकिंग से लाभार्थियों की सही पहचान सुनिश्चित हुई है, जिससे प्रदायगी में होने वाली गड़बड़ियों (लीकेज) को रोकने और 'घोस्ट एंट्रीज़' (फर्जी प्रविष्टियों) को समाप्त करने में मदद मिली है। 'पोषण ट्रैकर' डैशबोर्ड पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, 99.88% पंजीकृत लाभार्थियों का आधार सत्यापन हो चुका है।

*****

अनुलग्नक I

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 (2019-2021) के अनुसार, पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चों में ठिगनापन, दुबलापन और अल्प वज़न की राज्य और संघ राज्य क्षेत्र-वार व्यापकता।

क्र.सं.	**राज्य और संघ राज्य क्षेत्र**	**ठिगनापन** (%)	**दुबलापन** (%)	**अल्पवजन** (%)
भारत		**35.5**	**19.3**	**32.1**
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	22.5	16	23.7
2	आंध्र प्रदेश	31.2	16.1	29.6
3	अरुणाचल प्रदेश	28	13.1	15.4
4	असम	35.3	21.7	32.8
5	बिहार	42.9	22.9	41
6	चंडीगढ़	25.3	8.4	20.6
7	छत्तीसगढ़	34.6	18.9	31.3
8	दादरा और नगर हवेली एवं दमन एवं दीव	39.4	21.6	38.7
9	दिल्ली	30.9	11.2	21.8
10	गोवा	25.8	19.1	24
11	गुजरात	39	25.1	39.7
12	हरियाणा	27.5	11.5	21.5
13	हिमाचल प्रदेश	30.8	17.4	25.5
14	जम्मू एवं कश्मीर	26.9	19	21
15	झारखंड	39.6	22.4	39.4
16	कर्नाटक	35.4	19.5	32.9
17	केरल	23.4	15.8	19.7
18	लक्षद्वीप	32	17.4	25.8
19	लद्दाख	30.5	17.5	20.4
20	मध्य प्रदेश	35.7	19	33

क्र.सं.	**राज्य और संघ राज्य क्षेत्र**	**ठिगनापन** (%)	**दुबलापन** (%)	**अल्पवजन** (%)
21	महाराष्ट्र	35.2	25.6	36.1
22	मणिपुर	23.4	9.9	13.3
23	मेघालय	46.5	12.1	26.6
24	मिजोरम	28.9	9.8	12.7
25	नागालैंड	32.7	19.1	26.9
26	उड़ीसा	31	18.1	29.7
27	पुद्दुचेरी	20	12.4	15.3
28	पंजाब	24.5	10.6	16.9
29	राजस्थान	31.8	16.8	27.6
30	सिक्किम	22.3	13.7	13.1
31	तमिलनाडु	25	14.6	22
32	तेलंगाना	33.1	21.7	31.8
33	त्रिपुरा	32.3	18.2	25.6
34	उत्तर प्रदेश	39.7	17.3	32.1
35	उत्तराखंड	27	13.2	21
36	पश्चिम बंगाल	33.8	20.3	32.2

अनुलग्नक II

पिछले 3 वर्षों के लिए राज्य और संघ राज्य क्षेत्र-वार जारी निधि का ब्यौरा

(करोड़ रुपये)

क्र.सं.	**राज्य और संघ राज्य क्षेत्र**	**जारी की गई निधि (2022-23)**	**जारी की गई निधि (2023-24)**	**जारी की गई निधि (2024-25)**	**जारी की गई निधि (2025-26)**
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	3.85	12.15	9.63	8.10
2	आंध्र प्रदेश	827.79	705.68	645.73	522.97
3	अरुणाचल प्रदेश	137.78	162.06	102.61	109.67
4	असम	1651.63	2233.31	2482.34	1025.07
5	बिहार	1740.09	1859.29	2262.92	878.72
6	चंडीगढ़	33.10	19.79	14.56	9.87
7	छत्तीसगढ़	668.96	579.46	733.30	392.39
8	दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव	5.80	11.97	9.13	144.61
9	दिल्ली	182.77	161.81	160.41	5.92
10	गोवा	14.71	13.95	13.44	12.62
11	गुजरात	912.64	1126.80	601.32	337.53
12	हरियाणा	195.25	225.78	232.69	43.38
13	हिमाचल प्रदेश	270.24	301.09	313.07	257.02
14	जम्मू एवं कश्मीर	479.01	530.88	662.79	282.87
15	झारखंड	430.91	664.30	496.95	386.01
16	कर्नाटक	765.87	912.96	886.85	620.40
17	केरल	444.98	306.64	435.74	176.06
18	लद्दाख	18.79	19.62	18.89	16.41
19	लक्षद्वीप	0.44	2.88	1.35	0.82
20	मध्य प्रदेश	1011.57	1123.11	1144.54	791.73

21	महाराष्ट्र	1646.17	1699.52	1368.84	1060.79
22	मणिपुर	135.95	201.28	342.87	133.15
23	मेघालय	192.39	269.69	137.93	81.40
24	मिजोरम	42.81	100.27	55.29	47.93
25	नागालैंड	199.30	262.91	147.01	88.88
26	ओडिशा	923.92	968.80	948.16	789.82
27	पुद्दुचेरी	0.12	4.48	3.68	3.90
28	पंजाब	75.31	307.87	265.48	133.15
29	राजस्थान	974.02	1091.96	741.85	722.33
30	सिक्किम	20.33	33.49	18.07	9.00
31	तमिलनाडु	766.81	880.79	638.47	508.87
32	तेलंगाना	550.69	507.87	430.76	117.70
33	त्रिपुरा	150.52	244.22	153.41	133.75
34	उत्तर प्रदेश	2721.87	2668.69	2694.62	1944.79
35	उत्तराखंड	425.84	288.24	216.33	223.30
36	पश्चिम बंगाल	1227.59	1237.56	1513.80	1029.28

*****